

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-151/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

शिवेश्वर महतो वगैरह बनाम डोमन महतो वगैरह

08/02/21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

1.शिवेश्वर महतो पिता-अभिराम महतो, ग्राम-मुरुतडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.सुगन देवी पति-लखीन्द्र महतो, ग्राम-सुटीलाँग, पो०-बुढाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची दोनो जाति-कुर्मी महतो, पेशा-खेती बारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.डोमन महतो 2.अधनु महतो 3.नकुल महतो तिनो के पिता-स्व० बुका महतो, ग्राम-चिरगालडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती बारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-20/01/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1.डोमन महतो 2.अधनु महतो 3.नकुल महतो तिनो के पिता-स्व० बुका महतो, ग्राम-चिरगालडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती बारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बारुहातु	सोनाहातु/60	193	2573	15 डी० चौहद्दी:- उ०-यूगल महतो। द०-नीज। पू०-सारणा टांड। प०-ग्रामीण रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।



अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-62(ii) दिनांक-29/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत सीचरन जोगी वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध खरिद-बिक्री का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम नेहाल महतो पिता-कार्तिक महतो है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित खाता में रकबा-1.79 ए० खरीदगी भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020-21 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता के जमाबंदी रैयत नाना एवं पिता लगते हैं। तथा खरीदगी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन रैयती किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के अन्तर्गत आते हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता 1.शिवेश्वर महतो पिता-अभिराम महतो, ग्राम-मुरुतडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.सुगन देवी पति-लखीन्द्र महतो, ग्राम-सुटीलाँग, पो०-बुढाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची दोनो जाति-कुर्मी महतो, पेशा-खेती बारी, को क्रेता 1.डोमन महतो 2.अधनु महतो 3.नकुल महतो तिनो के पिता-स्व० बुका महतो, ग्राम-चिरगालडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती बारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-20/01/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता 1.शिवेश्वर महतो पिता-अभिराम महतो, ग्राम-मुरुतडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.सुगन देवी पति-लखीन्द्र महतो, ग्राम-सुटीलाँग, पो०-बुढाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची दोनो जाति-कुर्मी महतो, पेशा-खेती बारी, को क्रेता 1.डोमन महतो 2.अधनु महतो 3.नकुल महतो तिनो के पिता-स्व० बुका महतो, ग्राम-चिरगालडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती बारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।



भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बारुहातु	सोनाहातु/60	193	2573	15 डी० <u>चौहददी:-</u> उ०-यूगल महतो। द०-नीज। पू०-सारणा टांड। प०-ग्रामीण रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

*8.08/02*  
भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

*8.08/02*  
भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।